न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 87/16

कुनाराम पुत्र मु. घडसीराम प्राकृतिक पिता सुरजाराम जाति सुथार । र.सी सूरतगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14.2.20

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 03.06.2006, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम आवंटित आ ई. काश्त भूमि वाके रोही करबा सूरतगढ के खसरा न 379/1 की 1.265 है0 खसरा न. 383/4 की 6.325 है0 कुल 7.590 है0 बारानी भूमि पैराफेरी में मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 379/1 की 1.265 है0 खसरा न. 383/4 की 6.325 है0 कुल 7.590 है0 बारानी भूमि टी.सी. आवंटन सम्वत 2027 में हुई थी। टी.सी. आवंटन की दिनांक से ही मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। इस रकबा बाबत पटवारी हल्का ने नगरपालिका सीमा यानि पैराफेरी में आया टी.सी. आवंटित रकबा मानकर शर्तो का उल्लंघन मानकर तहसीलदार सूरतगढ को रिपोर्ट भेजी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैरअपील निर्णय पारित कर दिया जबकि मौका पर न तो पैमाईश करवाई गई व नही ही सीमा निर्धारित करवाई। अपीलांट व उसके परिवार का पालन पोषण व जीवन यापन का सहारा जैर अपील रकबा है यदि यह रकबा ही छुट गया तो अपीलांट के भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है जिसका पेशा काश्तकारी है । अपीलांट भूमिहीन श्रेणी का व्यक्ति है व उक्त रकबा टी.सी. आवंटन है जिसकी खातेदारी पाने का अपीलांट पूरा हकदार हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।
3. अपील संख्या 87/16 पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए एवं पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मीमो के अतिरिक्त तहसीलदार को टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार ही नही है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने मे सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय मे दिया है वे इस मामले में लागू नही होते। राजस्थान उपनिवेशन (अरथाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त कलेक्टर
सूरतगढ
...संख्या-8975

की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां कलक्टर को दी गयी है। साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.9.2006 खारिज किया जावे।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र द.प्र. 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेस्पोडेंट ने कोई विरोध भी नहीं किया। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 03.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ के 379/1 की 1.265 है0 खसरा न. 383/4 की 6.325 है0 कुल 7.590 है0 बारानी भूमि अपीलांट को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत 2061 तक नवीनीकृत हुई है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज./16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
कोड संख्या-8975
दिनांक__________

Scanned by CamScanner